ORDER-SHEET

The Electricity Ombudsman, MPERC, 5th Floor, Metro Plaza, Bhopal

Case No. L0032913

Date of order of proceeding	Order of proceeding with Signature of presiding officer मेसर्स बुरहानपुर टेक्सकोट इण्ड0 विरूद्ध मुख्य अभियंता, मप्रमक्षेविविकलि, इन्दौर.	Signature of parties or pleaders where necessary
25.10.13	आवेदक की ओर से बी.एच. अंसारी, अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक की ओर से सुश्री ज्योत्सना अग्निहोत्री, विधि अधिकारी उपस्थित । (2) विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के शिकायत प्रकरण क्रमांक W0253513 मेसर्स बुरहानपुर टेक्सकोट इण्डस्ट्रीज विरूद्ध मुख्य अभियंता में पारित आदेश दिनांक 19.06.2013 के संबंध में यह अभ्यावेदन उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है । (3) फोरम के आदेश का अवलोकन किया गया । फोरम के आदेश का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत को मान्य करते हुए यह आदेश दिया है कि उपभोक्ता द्वारा जमा एम.ई. की पूरी कीमत में से एम.ई. की डिप्रिशियेटेड कास्ट लेकर शेष राशि का समायोजन उपभोक्ता के आगामी मासिक विद्युत देयकों में किया जाए । फोरम के इस आदेश का पालन अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसी आधार पर उपभोक्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है । (4) वस्तुतः उपभोक्ता की शिकायत को फोरम द्वारा मान्य किया गया है, अतः फोरम के आदेश से उपभोक्ता के व्यथित होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में फोरम के आदेश के विरूद्ध अभ्यावेदन ग्रहण किए जाने योग्य नहीं है । अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी को निर्देशित किया जाता है कि फोरम के आदेश का क्रियान्वयन किया जाना एक माह में सुनिश्चित करें । प्रतिवेदन संबंधित फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जाए । (5) आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए । **विद्युत लोकपाल** **प्रतिलिपि :** 1. आवेदक की ओर प्रेषित । 2. अनावेदक की ओर प्रेषित । 3. फोरम की ओर प्रेषित । **विद्युत लोकपाल**	